न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 76/2018

अनवान :

1. हिम्मतसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. मोहरसिंह उर्फ सुगना पुत्र श्री नंदराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. सुरेश पुत्र मोहरसिंह जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. मदनलाल पुत्र मोहरसिंह जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
4. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा भादरा तहसील भादरा जिल हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : **वादी**

वकील श्री राजेन्द्र कालीरावण : **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक :** 30.8.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 347/345 के खसरा सं0 173 की 3.174 है0, खसरा सं0 187 की 8.106 है0 खसरा सं0 217 की 7.714 है0 खसरा सं0 282 की 5.590 है0खसरा सं0 620/173 की 2.276 है0 खसरा सं0 620/284 की 1.518 है0 खसरा सं0 626/217 की 2.529 है0 कुल खसरा सं0 7 कुल भूमि 30.907 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा कणाऊ के ही खाता सं0 310/308 के खसरा सं0 264 की 4.426 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में मोहरसिंह उर्फ सुगनाराम वल्द नंदराम के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी ग्राम के खाता सं0 226/227 के खसरा सं0 274 की 1.796 है0, बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी मोहरसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 एक की परिवार के सदस्य है। वादी हिम्मतसिंह, प्रतिवादीसं0 1 मोहरसिंह का पुत्र है। प्रतिवादी सं0 2 व 3 वादी के सगे भाई है। उक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद व दादालाई पैत्रक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 का भी जन्म से हक निहित है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा (हनु.)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जबाबदावा पेश किया व बाद में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 5 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वाद भूमि रोही कणाऊ के खाता सं0 347/345 की कुल 30.907 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में 1/5 हिस्सा कृषि भूमि में वादी हिम्मतसिंह 1/20 हिस्सा एवं प्रतिवादीसं0 1 मोहरसिह 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 सुरेश 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 मदनलाल का 1/20 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 310/308 के खसरा सं0 264 की 4.426 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में मोहरसिंह उर्फ सुगनाराम वल्द नंदराम के नाम से 1/4 हिस्सा , कृषि भूमि में से वादी हिम्मतसिंह 1/16 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिह 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 सुरेश 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 मदनलाल का 1/16 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 226/227 के खसरा सं0 274 की 1. 796 है0, बारानी खातेदारी कृषि भूमि में कृषि भूमि में वादी हिम्मतसिंह 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 सुरेश 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 मदनलाल का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है ?
   – वादी
2. आया कि वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद एवं दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 का भी जन्म से हक निहित है ?
   – वादी
3. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में हिम्मतसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यफोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ के खाता सं0 347/345 सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 1, सत्यफोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ के खाता सं0 310/308 सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 2, सत्यफोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ के खाता सं0 226/227 सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 3, सत्यफोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ के खाता सं0 106/97 सम्वत् 2060–63 प्रदर्श 4, पारिवारिक समझौता प्रदर्श 5, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद व दादालाई पैत्रक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 का भी जन्म से हक निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। हस्तगत प्रकरण में दो तनकीयात कायम की गई है दोनों तनकीयात एक दूसरे पर आधारित है, इसलिए दोनों तनकीयात का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद व दादालाई पैत्रक सम्पति होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने सत्यफोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ के खाता सं0 106/97 सम्वत् 2060–63 प्रदर्श

सहायक कलेक्टर

4 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा नन्दराम वल्द लुणा के नाम दर्ज है जिससे मात्र वर्तमान जमाबन्दी ग्राम कणाऊ के खाता सं0 347/345 सम्वत् 2072–75 में दर्ज कृषि भूमि ही दादालाई साबित हो पाई है। शेष खाता सं0 310/308 व खाता सं0 226/227 की कृषि भूमि को दादालाई साबित करने बाबत वादी ने कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है इस प्रकार सम्पूर्ण वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित नहीं है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 में मोहरसिंह के वारिसान में पत्नि मैसर व तीन पुत्र सुरेश कुमार, मदनलाल, हिम्मतसिंह होना एवं इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है, जिससे तनकी सं0 1 के अनुसार ग्राम कणाऊ के खाता सं0 347/345 में प्रतिवादी सं0 मोहरसिंह के 1/5 हिस्सा कृषि भूमि में वादी हिम्मत सिंह का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 मोहरसिंह का 1/20 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 सुरेश का 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 3 मदनलाल का 1/20 हिस्सा होना साबित है किन्तु शेष खाता सं0 310/308 व खाता सं0 226/227 की कृषि भूमि वादी दादालाई साबित करने में असफल रहा है इस कारण उक्त दोनों तनकीयात पूर्णरूपेण वादी के पक्ष में साबित नहीं है। इस प्रकार उक्त दोनों तनकीयात ग्राम कणाऊ की जमाबन्दी खाता सं0 347/345 की हद तक वादी के पक्ष में तय की जाती है।

अत : वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 347/345 के खसरा सं0 173 की 3.174 है0, खसरा सं0 187 की 8.106 है0 खसरा सं0 217 की 7.714 है0 खसरा सं0 282 की 5.590 है0खसरा सं0 620/173 की 2.276 है0 खसरा सं0 620/284 की 1.518 है0 खसरा सं0 626/217 की 2.529 है0 कुल खसरा सं0 7 कुल भूमि 30.907 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के बजाय वादी हिम्मतसिंह 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 सुरेश 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 मदनलाल 1/20 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी हिम्मतसिंह के नाम 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के नाम 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 सुरेश के नाम 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 मदनलाल के नाम 1/20 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। शेष दोनों खातों की कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.8.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 76/2018

अनवान :

1. हिम्मतसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. मोहरसिंह उर्फ सुगना पुत्र श्री नंदराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. सुरेश पुत्र मोहरसिंह जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. मदनलाल पुत्र मोहरसिंह जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
4. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा भादरा तहसील भादरा जिल हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 3 श्री राजेन्द्र कालीरावण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 347/345 के खसरा सं0 173 की 3.174 है0, खसरा सं0 187 की 8.106 है0 खसरा सं0 217 की 7.714 है0 खसरा सं0 282 की 5.590 है0खसरा सं0 620/173 की 2.276 है0 खसरा सं0 620/284 की 1.518 है0 खसरा सं0 626/217 की 2.529 है0 कुल खसरा सं0 7 कुल भूमि 30.907 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के बजाय वादी हिम्मतसिंह 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 सुरेश 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 मदनलाल 1/20 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी हिम्मतसिंह के नाम 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के नाम 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 सुरेश के नाम 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 मदनलाल के नाम 1/20 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। शेष दोनों खातों की कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.8.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)